




राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ  
State Eligibility Test Cell  
(मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग)  
नोडल एजेन्सी  
रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/08/परीक्षा/2016, दिनांक 31.12.2016

राज्य पात्रता परीक्षा - 2017 की अर्हता में संशोधन

01. राज्य पात्रता परीक्षा-2017 के प्रकाशित विज्ञापन "रोजगार और निर्माण" (दिनांक 19.12.2016 से 25.12.2016) के पृष्ठ क्रमांक - 4 एवं आयोग की वेबसाइट के पृष्ठ क्रमांक - 5 के टीप :- 1 के पैरा 3 में वर्णित तथ्य "19 सितम्बर, 1991 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर में 5 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी, अतः स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थी भी सेट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र रहेंगे।" का संशोधित रूप निम्नानुसार है-
- "पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है ऐसे अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर में 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) की छूट प्राप्त होगी, अतः स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी भी सेट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।
02. विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

  
परीक्षा नियंत्रक (सेट)  
राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ